1853 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1853)

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (E.I.C) की स्थापना भारत में 31 दिसम्बर 1600 को हुई थी। प्लासी का युद्ध (1757) और बक्सर का युद्ध (1764) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीत लिए जाने के बाद भारत में कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस दौरान ब्रिटिश शासन ने समय समय पर कई अधिनियम पारित किये जिनके बल पर भारत में ब्रिटिश शासन की रूप-रेखा तैयार की गई।

1793 से 1853 तक प्रत्येक 20 वर्षों के अंतराल में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम अधिनियम था।1793, 1813 एवं 1833 में पारित किये गए चार्टर अधिनियम मुख्यतः कंपनी के भारत एवं चीन के व्यापार के एकाधिकार से सम्बंधित थे | परन्तु 1853 का चार्टर अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. इस अधिनियम के तहत, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ अलग कर दी गई।
2. इस अधिनियम के तहत, गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में 6 अतिरिक्त सदस्यों को भी जोड़ा गया। 6 नए सदस्यों में से, चार का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था।
3. 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, इसके सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा लेकिन कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
4. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई जिसमें से 6 क्राउन द्वारा नामांकित होने थे।
5. 1853 के अधिनियम द्वारा निर्देशकों के न्यायालय को उनके संरक्षण की शक्ति का निपटान किया गया।
6. 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
7. इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की शुरुआत हुई और सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई।
8. भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति (1854) के गठन का प्रावधान किया गया।
9. 1853 के चार्टर एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति को और मजबूत किया।

1853 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1853) : महत्त्व

1853 के चार्टर अधिनियम की सबसे बड़ी गलती यह थी कि इसने भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जो स्पष्ट था कि कंपनी का शासन लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। साथ ही

कंपनी की शक्ति और प्रभाव पर अंकुश लगने के साथ, ब्रिटिश क्राउन 6 निदेशकों को नामित कर सकता था। 1853 के चार्टर एक्ट ने भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में चिह्नित किया क्योंकि विधान परिषद कार्यकारी परिषद से स्पष्ट रूप से अलग थी। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। यही कारण था कि इस अधिनियम के बाद भारत में 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ। और उसके अगले वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू किया गया।

BYJU'S EXAM PREP